कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद

पत्रांक 2315 / 14–1, दिनांकः फर्रूखाबाद, अप्रैल 22/ 2019

सेवा में,

श्री राकेश गुप्ता
उपमहा प्रबन्धक–रिटेल
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि0
क्षेत्रीय कार्यालय आगरा

बिषय– फर्रूखाबाद–फतेहगढ–गुराहायगंज रोड (एस0एच 29ए) के किमी0 09(चैनेज 8. 053),बॉयी पटरी पर खसरा सं0–634मि, **ग्राम**–भूलनपूर चिरपुरा ,**परगना**–भोजपुर **तहसील**–सदर जिला फर्रूखाबाद में गैर वानिकी प्रयोग हेतु हिन्दुस्तान पट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में।

संदर्भ– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1852 / 11–सी–FP/UP/OTHERS/32858 दिनांक 28.03.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर का पत्रांक–3182 / 14–1 दिनांक 05.04.2019

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि आप द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का प्रस्ताव संख्या ए0पी0 / यू0पी0 / अन्य / 32858 / 2018 दिनांक 11.05.2018 को इस कार्यालय में भेजा गया था, जिसकी कार्यवाही पूर्ण कर इस कार्यालय की पत्र संख्या–1932 / 14–1 दिनांक 05.03.2019 को मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर को प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपर द्वारा प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्ताव का परिक्षण किया गया, परिक्षणोपरान्त निम्न कमियॉ पायी गयी, जिनका विवरण निम्नप्रकार है–

1. प्रस्ताव में रिटेल आउटलेट स्थापित किये गये जाने वाली भूमि की खतौनी एवं सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित पावर ऑफ एर्टोनी प्रस्ताव में संलग्न संलग्न नहीं है।

अतः उक्त कमियों का निराकरण कर आप / आप द्वारा नामित प्रतिनिधि को इस कार्यालय में भेजकर तत्काल कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फर्रूखाबाद